संख्या-73/2023 /2036/26-3-2023-1700327

प्रेषक,

राज कुमार झा
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास विभाग,
उ 0 प्र 0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-**3** लखनऊः दिनांकः 19 सितम्बर 2023

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-81 के 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 03-मुख्यालय अधिष्ठान के मानक मद 09-विद्युत देय के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र पत्र संख्या-74/ज 0 जा0 वि0/ पुनविर्नियोग/2023-24, दिनांक-15.05.2023 एवं पत्र संख्या-135/ज 0 जा0 वि0/ पुनविर्नियोग/2023-24, दिनांक-03.07.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण, 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- 03- मुख्यालय अधिष्ठान के मानक मद 09 विद्युत देय में रू0 66.00 लाख (रू0 छियासठ लाख मात्र) की धनराशि को अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक 2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण, 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-1701- एकीकृत जनजाति विकास परियोजना खीरी के मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) की बचत की धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

(1)- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की

गयी है।इसमें किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0 एल 0 ए 0/बैंक/डाकखाना/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है ।

(3) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0 एल 0 ए 0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(4) उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ 0 प्र 0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) जिस मद से धनराशि सक्रंमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(7) धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(8) वित्त आय-व्ययक अनुभाग- 01 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1/227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च , 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण, 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजन, 03-मुख्यालय अधिष्ठान के मानक मद 09-विद्युत देय के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0 एम 0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,
Signed by राज कुमार झा
Date: 18-09-2023 11:44:51
Reason: Approved
(राज कुमार झा)
अनु सचिव

पृ0 संख्या-73/2023/ 2036(1)/26-3-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ 0 प्र 0,प्रयागराज ।

2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ 0 प्र 0 प्रयागराज।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ 0 प्र 0 लखनऊ।

4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास विभाग, उ 0 प्र 0 लखनऊ।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ 0 प्र 0 शासन।

6- निदेशक, एन 0 आई 0 सी0 योजना भवन, लखनऊ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार झा)

अनु सचिव

File No.26-3002/30/2023- -3-

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A026-20232024-1523 A-23-3-2023

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-03-मुख्यालय अधिष्ठान के मानक मद 09-विद्युत देय के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
081	2225027961701 (एकीकृत विकास योजना, लखीमपुर खीरी)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	2,30,28,000 रुपये दो करोड़ तीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र	2,30,28,000 रुपये दो करोड़ तीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र	66,00,000 रुपये छियासठ लाख मात्र	- 66,00,000	- 1,64,28,000	2023-2024
कुल					₹ 66,00,000	₹ 66,00,000	1,64,28,000	

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
081	2225027960300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	09 (विद्युत देय)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	66,00,000 रुपये छियासठ लाख मात्र	- 66,00,000	- 76,00,000	2023-2024
कुल				₹ 66,00,000	₹ 66,00,000	76,00,000	

File No.26-3002/30/2023- -3-

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक /डाकखाना/ डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनाँक 17-03-2023 में वर्णित प्राविधानों प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(7)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(8)-जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोग की जा रही है उस मद में पुनः धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

सं०-RE-budget-1-61-E-4-18-X-2023-24 दि० 30-8-23

~~संख्या: -2023-24, दिनांक- अगस्त,2023~~

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ0प्र0, प्रयागराज।

धर्मेन्द्र मिश्रा

अनु सचिव

Signed by धर्मेन्द्र मिश्रा
Date: 29-08-2023 12:28:56
Reason: Approved

राज कुमार झा

अनु सचिव

Signed by राज कुमार झा
Date: 23-08-2023 13:59:00
Reason: Approved

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राज कुमार झा
अनु सचिव

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A026-20232024-1523 A-23-3-2023

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-03-मुख्यालय अधिष्ठान के मानक मद 09-विद्युत देय के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
081	2225027961701 (एकीकृत विकास योजना, लखीमपुर खीरी)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	2,30,28,000 रुपये दो करोड़ तीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र	2,30,28,000 रुपये दो करोड़ तीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र	66,00,000 रुपये छियासठ लाख मात्र	66,00,000 रुपये छियासठ लाख मात्र	1,64,28,000 रुपये एक करोड़ चौंसठ लाख अट्ठाईस हजार मात्र	2023-2024
कुल					₹ 66,00,000	₹ 66,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
081	2225027960300 (मुख्यालय अधिष्ठान)	09 (विद्युत देय)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	66,00,000 रुपये छियासठ लाख मात्र	66,00,000 रुपये छियासठ लाख मात्र	76,00,000 रुपये छिहत्तर लाख मात्र	2023-2024
कुल				₹ 66,00,000	₹ 66,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखाना/ डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनाँक 17-03-2023 में वर्णित प्राविधानों प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(7)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(8)-जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोग की जा रही है उस मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

संख्या:RE-budget-1-61-E-4-18-X-2023-24-दिनांक:30-08-2023

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ0प्र0, प्रयागराज।

राज कुमार झा

अनु सचिव

धर्मेन्द्र मिश्रा

अनु सचिव

संख्या : / , दिनांक- सितंबर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।